# रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर (छ0ग0)

## रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रारुप

**रिक्त पद एवं आरक्षण संबंधी जानकारी –**

| **(1) आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानन्द विद्यापीठ, नारायणपुर (कक्षा 01 से 12 तक)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | पदनाम | न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | मैट्रिक्स लेवल | पद संख्या | आरक्षण |
| 1 | भौतिकी व्याख्याता (अनुदान) | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से द्वितीय श्रेणी में भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी विषय में स्नाकोत्तर/समकक्ष एवं बी.एड. अनिवार्य। | लेवल–09 | 01 | 01 अ.ज.जा. |
| 2 | कम्प्यूटर अनुदेशक | 1. B.Tech/ M.C.A./ M.Sc. (Computer Sc/IT) or<br>2. B.Sc.Computer Sc./ IT or<br>3. B.C.A. or<br>4. Graduate with PGDCA from a recognizes University | लेवल–08 | 01 | 01 अ.ज.जा. |
| 3 | शिक्षक (हिन्दी) | (1) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक। (हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो)<br>(2) डी.एड. या बी.एड. या बी.एल.एड. उत्तीर्ण।<br>(3) टी.ई.टी. उत्तीर्ण (उच्च प्राथमिक स्तर)। | लेवल–08 | 01 | 01 अ.ज.जा. |
| 4 | छात्रावास अधीक्षक (हॉस्टलवॉर्डन) बालक | 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जायेगी।<br>**(अधिमान्यता का आशय– कम्प्यूटर ज्ञान/प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिये जाने का आशय यह है कि प्रश्नपत्र में पूछे गये कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।)** | लेवल–06 | 01 | 01 अ.ज.जा. |
| 5 | सहायक शिक्षक | (1) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।<br>(2) डी.एड./डी.एल.एड. उत्तीर्ण।<br>(3) टी.ई.टी. उत्तीर्ण (प्राथमिक स्तर पर)। | लेवल–06 | 01 | 01 अ.ज.जा. |
| **(2) विवेकानन्द विद्यामंदिर, आकाबेड़ा (कक्षा 01 से 10 तक)** | | | | | |
| क्र. | पदनाम | न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | मैट्रिक्स लेवल | पद संख्या | आरक्षण |
| 1 | संगीत शिक्षक | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत विषय में डिग्री धारक होना चाहिए। | लेवल–08 | 01 | 01 आनारक्षित |
| 2 | सहायक शिक्षक | (1) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।<br>(2) डी.एड./डी.एल.एड. उत्तीर्ण।<br>(3) टी.ई.टी. उत्तीर्ण (प्राथमिक स्तर पर)। | लेवल–06 | 01 | 01 अनारक्षित |
| **(3) विवेकानन्द विद्यामंदिर, कुन्दला (कक्षा 01 से 10 तक)** | | | | | |
| क्र. | पदनाम | न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | मैट्रिक्स लेवल | पद संख्या | आरक्षण |
| 1 | सहायक शिक्षक | (1) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।<br>(2) डी.एड./डी.एल.एड. उत्तीर्ण।<br>(3) टी.ई.टी. उत्तीर्ण (प्राथमिक स्तर पर)। | लेवल–06 | 01 | 01 अ.ज.जा. |

| **(4) विवेकानन्द विद्यामंदिर, कुतुल (कक्षा 01 से 08 तक)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र | पदनाम | न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | मैट्रिक्स लेवल | पद संख्या | आरक्षण |
| 1 | महिला छात्रावास अधीक्षिका | 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जायेगी।<br>**(अधिमान्यता का आशय– कम्प्यूटर ज्ञान/प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिये जाने का आशय यह है कि प्रश्नपत्र में पूछे गये कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।)** | लेवल–06 | 01 | 01 अनारक्षित |

| (5) नेहरू शताब्दी परियोजना | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | पदनाम | न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | मैट्रिक्स लेवल | पद संख्या | आरक्षण |
| 1 | पी.टी.आई. / कोच | उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी.पी.एड. अथवा बी.पी.एड. सहित स्नातक | लेवल–07 | 01 | 01 अ.ज.जा. |

1. **<u>सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें</u> :–** सीधी भर्ती में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी–

   **(एक) आयुः–**

   1. 01 जनवरी, 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
   2. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
   3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
   4. उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
   5. उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

2. **<u>निरर्हताएँ</u> :–**

   1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
   2. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्त्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये :
      परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
   3. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझें, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह अभ्यर्थी ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
   4. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :
      परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।
   5. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो , किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
   6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएँ, अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगी।

3. **<u>अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा</u> :–**

   1. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
   2. चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

4. **<u>पदों हेतु आरक्षण</u> :–**

   1. सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रं. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

5. **<u>चयन प्रक्रिया</u> :–**

   1. **भौतिकी व्याख्याता (अनुदान)** – पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंको के आधार पर कुल रिक्त पदों के 05 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जावेगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

2. **शिक्षक (अनुदान)/संगीत षिक्षक/ कम्प्यूटर अनुदेशक /छात्रावास अधीक्षक बालक (शिक्षक अनुदान छात्रावास)/ छात्रावास अधीक्षिका महिला (शिक्षक अनुदान )/सहायक शिक्षक (अनुदान)/पी.टी.आई.कोच/ –** पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। संगीत शिक्षक का चयन लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
3. इच्छुक अभ्यर्थी रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर की वेबसाइट http://rkmnarainpur.org/, https://narainpur.rkmm.org/ का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
4. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची, जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।
5. प्रतीक्षा सूची की वैधता 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी।
6. चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले की होगी उसका चयन किया जायेगा।

**6. <u>परिवीक्षा</u> :–**

1. चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश 33/2023 के पत्र क्रमांक 571/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर दिनांक 12.09.2023 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जावेगा।
2. यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियोक्ता द्वारा परिवीक्षा अवधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी
3. परिवीक्षा अवधि की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में यदि विभाग की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य न हो, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

परिवीक्षा अवधि के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।

**7. <u>अन्य निर्देश</u> :–**

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
3. चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे।
4. आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम/निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति अमान्य/निरस्त किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा परीक्षाफल जारी होने की तिथि के पश्चात् प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
7. अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
8. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. एक ही वर्ष में दो डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका WPS No. 209 of 2020 व अन्य याचिका में दिये गये निर्णय के अनुसार होगा।
10. मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी संस्था के पोर्टल के माध्यम ऑनलाईन दी जायेगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से संस्था के पोर्टल का अवलोकन करते रहेंगे।
11. परीक्षा की तिथि विभाग द्वारा पृथक से संस्था के पोर्टल पर जारी की जायेगी।
12. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
13. सीधी भर्ती हेतु इच्छुक आवेदक संस्था के वेबसाईट http://rkmnarainpur.org/, https://narainpur.rkmm.org/ के माध्यम से दिनांक 08.02.2026 से 08.03.2026 रात्रि 11.59 तक आवेदन प्रस्तुत करें।

**सचिव**
**रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर**